अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 06.12.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 197/2016 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, जिला श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजि.पदा. (एसडीएम) , श्रीगंगानगर

11–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2016 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बी.एल.ओ. सुभाष गोयल द्वारा लोक सभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.14 शाम 7 बजे से लेकर 06.04.2014 व दिनांक 07.04.2014 के सुबह 8 बजें तक मुख्यालय छोडने की अनुमति जोधपुर जाने हेतु प्राप्त की है तो उसकी सूचना व उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति व उसके प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.12.201621. 06.2017 के द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत 25000रूपये हर्जाना कायम किया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2021 दिनांक 30.12.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1918 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी अपीलार्थी को यह भी अवगत करवाया गया था कि उनके कार्यालय में उपलब्ध प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकता है परन्तु उसके द्वारा आदिनांक तक अभिलेखो के निरीक्षण हेतु उपस्थित नही हुआ है किन्तु अपील दायर कर दी है जो निरस्त की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1918 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया हैः–

बिन्दु सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	बी.एल.ओ. सुभाष गोयल द्वारा लोक सभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 शाम 7 बजे से लेकर 06.04.2014 व दिनांक 07.04.2014 के सुबह 8 बजे तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जोधपुर जाने हेतु प्राप्त की है तो उसकी सूचना व उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति व उसके प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।	जंहा तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचन अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।